न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प बिरामी, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 02/2009
दायर तिथि– 07.01.2009
तारीख फैसला– 17.05.2018

वादीगणः–

पुखसिंह के कायम मुकामः–
1–लहरी कुंवर बेवा पुखसिंहजी आयु बालिग
2– शेतानसिंह पुत्र पुखसिंहजी आयु बालिग
3–इन्द्रसिंह पुत्र पुखसिंहजी आयु नाबालिग
4–प्रवीणसिंह पुत्र पुखसिंहजी आयु नाबालिग
जातिगण रावणा राजपुत निवीगण बिरामी तहसील सुमेरपुर वादीगण सं. 3 व 4 नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता वादी सं. एक श्रीमती लहरी कूंवर बेवा पुखसिंहजी

ब ना म

प्रतिवादीगणः–

छोगा पुत्र अदरीग के कायम मुकाम–
1–पुसीया बेवा छोगा आयु बालिग
2–रमेश पुत्र छोगा आयु बालिग
3–रेखा पुत्री छोगा आयु बालिग
4–बुटकी पुत्री छोगा आयु बालिग
5–कालू पुत्र छोगा आयु बालिग
6–पकीया पुत्र छोगा आयु बालिग
7–शौभा पुत्री छोगा आयु बालिग
8–नपीया पुत्र छोगा आयु नाबालिग जातिगण सुथार निवासीगण बिरामी तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज. प्रतिवादी सं. 6 व 8 नाबालिग प्राकृतिक सरक्षिका प्रतिवादी सं. एक पुसीया
9–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली(राज.)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट, 1956

–:निर्णयः–

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) वादी द्वारा चह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बिरामी पटवार क्षैत्र बिरामी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 221/1 रकबा 1.60 हैक्टर छोगा पुत्र अदरीग की खातेदारी आराजी थी।

(2) वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार उतम पुत्र मोहनलाल जाति बाणिया जैन निवासी खैरवा तह पाली सम्पतराज पुत्र फुलचन्द जाति जैन निवासी साण्डेराव प्रकाश पुत्र बाबूलाल मेहता जाति जैन निवासी खीमेल तह. बाली सुरेश पुत्र मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी सोजत सिटी है तथा मौके पर कब्जा भी उपरोक्त खातेदारों का ही है।

(3) मृतक पुखसिंह की पत्नि वादीया लहरीकंवर बेवा पुखसिंह द्वारा यह दावा किया गया है कि उक्त आराजी उनके पति द्वारा मृतक छोगा पुत्र अदरीग से क्रय की थी तथा क्रय की गई भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नही होने व कोई पंजीकृत दस्तावेज के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **17.05.2018** को राजस्व लोक अदालत बिरामी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner